न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–08 / 2023 तारीख रजू:–27.03.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023 / 15

पीठासीन अधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. लाखा पुत्र शोकरण जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. रमेश पुत्र शोकरण जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. रामस्वरूप पुत्र शोकरण जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. लड्डू पुत्र शोकरण जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. राधेश्याम पुत्र शोकरण जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. रामेश्वर पुत्र शोकरण जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. राजाराम पुत्र शोकरण जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
8. कमलेश पुत्र स्व0 रामफूल जाति भोपा (नायक) निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–अप्रार्थी

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट

वकील :– तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

निर्णय दिनांक:–23.04.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र का विवरण:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:51 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किप्रार्थीगण एक ही खानदान के है। प्रार्थी सं. 8 प्रार्थी सं. 1 लगायत 7 के खास भाई रामफूल (मृतक) का पुत्र है और प्रार्थी सं. 1 लगायत 7 का खास भतीजा है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम नयागांव पटवार हल्का पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा भू सर्वेक्षण किए जाने के पूर्व संवत 2039 से 2042 की जमाबन्दी में प्रार्थी सं. 1 लगायत 7 व प्रार्थी सं. 8 के पिता रामफूल के नाम यह भूमि खातेदारी में बराबर हिस्से में दर्ज थी। इसका साबिक खसरा नं. 119 / 2, 160 / 2 व 160 / 1 / 20 था तथा खाता सं. 101 था इसी जमाबन्दी में रामफूल की मृत्यु हो जाने पर नामान्तरकरण सं. 277 के द्वारा रामफूल के स्थान पर प्रार्थी सं. 8 का नाम

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उसका हिस्सा दर्ज होने का नोट अंकित है। तहसील चौथ का बरवाडा का भू सर्वेक्षण पिछले वर्षों में सेटलमेंट विभाग द्वारा किया गया था। जिसमें साबिक खसरा नम्बरान के नवीन नम्बर 1222, 1223, 1272, 1398 (बीससाला) में बनाए गए और प्रथम जमाबन्दी में खाता सं. 126 कायम कर प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया था। संवत 2074 से 2077 की जमाबन्दी का रिकॉर्ड तैयार करते समय सभी खातदारों का हिस्सा अलग अलग स्पष्ट निर्धारित किया गया है इसमें प्रार्थी सं. 8 को हिस्सा सहवन से 1/2 दर्ज कर दिया गया है तथा प्रार्थी सं. 1 लगायत 7 का 1/2 हिस्से में से प्रत्येक का 1/14 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थीगण का प्रत्येकै का 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था क्योंकि प्रार्थी सं. 8 के पिता रामफूल का जब 8 हिस्सा था तथा प्रार्थीगण के बराबर हिस्सा था तो प्रार्थी सं. 8 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज करना एक लिपिकीय भूल है जिसको दुरूस्त करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा ग्राम नयागांव पटवार हल्का पांवडेरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्जकृषि भूमि खसरा नं. 1222 रकबा 0.1400 है० खसरा नं. 1223 रकबा 0.2200 है०, खसरा नं. 1272 रकबा 0.4000 है०, खसरा नं. 1398 रकबा 1.4300 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.1900 हैं0 में प्रार्थी सं. 8 का हिस्सा 1/2 रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में सहवन से दर्ज किया हुआ है उसको दुरुस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

तहसीलदार की रिपोर्ट/जवाबः–

3. प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/2440 दिनांक 02.01.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश की है कि है, जो निम्नानुसार है–

ग्राम नयागांव की जमाबन्दी संवत 2039–42 में साबिक खसरा नम्बर 119/2, 160/2, 160/1/20 लखा, रामफूल, रमेश, रामस्वरूप, लड्डू राधेश्याम, रामेश्वर, राजाराम पि० शोकरण कोम भोपा के नाम दर्ज है तथा नामान्तकरण संख्या 277 द्वारा रामफूल के बजाय कमलेश पुत्र रामफूल के नाम का नोट अंकित है।मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 119/2, 160/1. 160/1/20 के नवीन खसरा नम्बर 1222, 1223, 1272 एवं 1398 बने है। वर्तमान खसरा नम्बर 1222/0.14, 1223/0.22. 1272/0.40, 1393/1.43 है० वाके ग्राम नयागांव कमलेश पुत्र रामफूल हि.1/2. रमेश पुत्र शोकरण हि.1/14, राजाराम पुत्र शोकरण हि.1/14, राधेश्याम पुत्र शोकरण हि.1/14, रामेश्वर पुत्र शोकरण हि1/14. लड्डू पुत्र शोकरण हि.1/14, लखा पुत्र शोकरण हि.1/14, रामस्वरूप पुत्र शोकरण हि.1/14 जाति भोपा (नायक) के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2057–2057 (आधार वर्ष) में खसरा नम्बर 1222, 1223, 1272 एवं 1398 में नामान्तकरण संख्या 19 निर्णय दिनांक 24.08.1998 रहननामा से लखा, रमेशरामस्वरूप लड्डू, राधेश्याम, रामेश्वर, राजाराम पि० शोकरण हि. 1/2 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान शाखा ईसरदा के नाम रहन का नोट अंकित होने एवं इसके पश्चात निरन्तर 1/2 हिस्से का अंकन होता रहा है। उपरोक्त प्रत्येक खातेदारान का हिस्सा 1/8 किये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट पेश की है।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने [illegible] पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। मैने वकील प्रार्थीगण की बहस का मन[illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट [illegible] अवलोकन किया।

5. सेटलमेंट से पूर्व की संवत् 2039–2042 की जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर [illegible] नंबर 160/2, एवं खसरा नंबर 160/1/20 प्रार्थीगण 1 लगायत 7 व प्रार्थी 8 [illegible] पिता रामफूल के पिता के नाम बराबर हिस्से में दर्ज थी, जिसमें नामान्तरकरण संख्या 277 [illegible] द्वारा रामफूल के स्थान पर प्रार्थी संख्या 8 कमलेश का नाम उसका हिस्सा दर्ज होने का नोट है। तहसीलदार रिपोर्ट व मिलान क्षेत्रफल से इन साबिक खसरा नंबरों से सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नंबर 1222, 1223, 1272 व 1398 बनने की पुष्टी होती है। सेटलमेंट के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sin
Date: 2025.05.01 15:05:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

की जमाबंदियों में भी सभी का हिस्सा बराबर अर्थात 1/8 होना चाहिए था, परन्तु स्थायी जमाबंदी दिनांक 02.08.2022 में कमलेश पुत्र रामफूल का 1/2 हिस्सा व अन्य समस्त खातेदारों का कुल 1/2 हिस्सा दर्ज है, जो कि त्रुटी है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी प्रत्येक खातेदार का बराबर अर्थात 1/8 करने की अभिशंषा की गई है। कमलेश पुत्र रामफूल, जिसका हिस्सा 1/2 से कम करते हुए 1/8 किया जाना है, वह भी वर्तमान प्रार्थना पत्र में प्रार्थी है। इस प्रकार प्रभावित खातेदारों को भी कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 1222 रकबा 0.1400 है० खसरा नं. 1223 रकबा 0.2200 है०, खसरा नं. 1272 रकबा 0.4000 है०, खसरा नं. 1398 रकबा 1.4300 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.1900 हैं0 में प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा 1/8 दर्ज करे। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:51 IST
Reason: SelfAttested